संख्या-4/2018/747/49-3-2018-100(9)/2012

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक:04 मई , 2018

विषय- वर्ष 2018-19 में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना के अन्तर्गत हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2018-19 में उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत, भण्डार शुल्क, ब्याज एवं परिवहन पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती है :--

(1) ब्याज के सम्बन्ध में

यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की प्रीपोजीशनिंग योजना के अन्तर्गत पी0सी0एफ0 एवं समितियों को उनके द्वारा निवेश की गयी धनराशि पर देय ब्याज, जो 11.25 प्रतिशत से अनधिक होगा, की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी।

(2) भण्डारण शुल्क के सम्बन्ध में

पी0सी0एफ0 एवं समितियों को भण्डारित यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों पर "भण्डारण निगम से न्यूनतम सम्भव दरों अथवा इफको द्वारा पीसीएफ को प्रदान किये जा रहे भण्डारण शुल्क में से जो कम हो की दर पर" देय भण्डारण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(3) **पी0सी0एफ0 बफर गोदाम से समितियों तक पूर्व भण्डारित फास्फेटिक व यूरिया उर्वरक एवं पूर्व भण्डारण योजना के अतिरिक्त सामान्य यूरिया तथा फास्फेटिक उर्वरक के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान।**

प्रीपोजीशनिंग योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उर्वरक का भण्डारण कराया जाना है। अतएव पी0सी0एफ0 बफर गोदामों से समितियों तक पूर्व भण्डारित फास्फेटिक व यूरिया उर्वरक एवं पूर्व भण्डारण योजना के अतिरिक्त सामान्य यूरिया तथा फास्फेटिक उर्वरक के वास्तविक परिवहन व्यय में प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रदत्त धनराशि को घटाकर अन्तर की धनराशि की प्रतिपूर्ति पीसीएफ एवं अन्य परिवहन संस्थाओं को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि उर्वरक का परिवहन जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नहीं होगा।

(4) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ एवं उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ इन व्ययों के मद तथा व्ययों को बेहतर वित्तीय /प्रशासकीय प्रबन्धन से सीमित करने का प्रयास करेंगे, जिससे वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक की प्राविधानित धनराशि तक ही व्यय सीमित रहे । साथ ही बैंको से ऋण लिया जाना इस तरह से नेगोसियेट करेंगे कि न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो सके।

4/5/18

-----2/----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) पूर्ण भण्डारण योजना में व्यय धनराशि का पीसीएफ द्वारा राज्य आडिट ईकाई से आडिट कराकर रिपोर्ट आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण पर ब्याज मद, भण्डारण मद, एवं परिवहन मद में व्यय होने वाली धनराशि की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से प्रदान की जायेगी।

(7) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0 दिनांक 31दिसम्बर, 2018 तक यूरिया एवं उर्वरको के अग्रिम भण्डारण एवं उर्वरकों के परिवहन के सम्बन्ध में नियमावली दिनांक 31दिसम्बर, 2018 तक तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(8) उक्त व्यय आय-व्ययक 2018-19 में उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण योजना के अन्तर्गत उपलब्ध/प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

9- प्रीपोजीशनिंग योजना के अन्तर्गत जिन रासायनिक उर्वरकों का भण्डारण किया जाएगा, उनकी बिक्री यथासमय की जाएगी, ताकि बैंकों से लिए गये ऋण पर ब्याज एवं अधिक समय तक किए जाने वाले भण्डारण के कारण भण्डारण शुल्क में वृद्धि न हो सके। यदि विलम्ब के कारण बैंक ब्याज एवं भण्डारण शुल्क में जो भी वृद्धि होगी, तो उसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-4/2018/747(1)/49-3-2018,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : --

1- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2,उ0प्र0शासन ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
3- वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी,कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
4- अपर निबन्धक(कृषि-निवेश) सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
5- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।